आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :सम्भल,तहसील :सम्भल
वाद संख्या :-12380/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202513740312380
ग्राम सभा बनाम आफ्ताब हुसैन
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

—::निर्णय::—

माननीय उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका 2933/2025 मुन्नी लाल बनाम राज्य एवं अन्य को निस्तारित करते हुए माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.10.2025 को विस्तृत आदेश पारित किया है। अपने आदेश के पैरा 39 में माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित सख्त निर्देश दिये हैं जो इस प्राकर हैं:—

> "39. This Court is also directing that if any land belonging to the State Government or any Local bodies/authorities, is illegally occupied or encroached by any person, the Inspector of the concerned department/authority or any other official is duty bound to inform the concerned authority of the department about the encroachment, to initiate proceedings for removal of the encroachment and also restore the property in original form. In case, the concerned inspector/official does not inform about any kind of encroachment on the said land and information comes otherwise, **departmental proceedings for misconduct and criminal proceeding of criminal breach of trust treating also as abettor as well as conspirator**, shall be initiated against him as well as other erring official as he/they are the custodian of the properties entrusted to them as government authorities."

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आर0सी0 प्रपत्र—19 पर हल्का लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 24.06.2025 के आधार पर आरम्भ हुई। हल्का लेखपाल द्वारा आराजी ग्राम सैफ खां सराय तहसील व जिला सम्भल की गाटा संख्या 452/0.1340हे0, जो कि राजस्व अभिलेखों में **"पेड़ लगाने का स्थान/सम्पत्ति ग्राम समाज"** के नाम अंकित है, उक्त भूमि पर उक्त गांव के ही श्री आफताब हुसैन पुत्र खुर्शीद हुसैन नि0 सैफ खां सराय तहसील व जिला सम्भल द्वारा **'पक्का मकान, मस्जिद, दरगाह'** बनाकर अबैध कब्जा होना दर्शाया गया है। लेखपाल की आख्या के आधार पर नियमानुसार वाद दर्ज कर अतिचारी/प्रतिवादी को दिनांक 24.06.2025 को आर0सी0 प्रपत्र 20/नोटिस जारी किया गया। जो कि प्रतिवादी आफताब हुसैन को दिनांक

पृष्ठ संख्या :

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :सम्भल,तहसील :सम्भल
वाद संख्या :-12380/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202513740312380
ग्राम सभा बनाम आफ्ताब हुसैन
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

27.06.2026 को दस्त वदस्त तामील हुआ। प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। उसके बाद दिनांक 30.06.2025 को प्रतिवादी आफताब हुसैन पुत्र खुर्शीद हुसैन, नि0 ग्राम सैफ खां सराय को ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में **'कारण बताओ नोटिस'** जारी किया गया। दौरान वाद कार्यवाही इस आशय का प्रतिवाद पत्र प्रसतुत किया गया कि आफताब हुसैन एवं मेहताब हुसैन पुत्रगण खुर्शीद संयुक्त रूप से मुतवल्ली एवं काविज दखील हैं। इसलिए प्रस्तुत वाद में आफताब एवं मेहताब दोनों को प्रतिपक्षी संख्या संख्या 01 एवं संख्या 02 के रूप में चिन्हित किया जाता है।

दिनांक 18.07.2025 को आफताब हुसैन एवं मेहताब हुसैन नि0 सैफ खां सराय, सम्भल तहसील व जिला सम्भल की ओर से प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया तथा दिनांक 07.03.2026 को विस्तृत लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि "आर०सी० प्रपत्र. 19 तथा आरसी प्रपत्र 20 अत्यन्त अल्पकालिक दिया गया जो अवैध स्वंय शून्य प्रभावी है। विषयगत आराजी पर मुस्लिम धार्मिक स्थल मजार तथा मस्जिद कदीमी बने हुए है। जिन्हें 20 वर्ष पुराना बताकर झूठी जॉच आख्या आर०सी० प्रपन 19 में दी गयी है। उक्त मस्जिद व ज्यारत आदि समस्त निर्माण वक्फ सं0 3037 वक्फ एक्ट 43 सन् 1995 के अन्तर्गत यू०पी० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में एक अरसे से विधिवत पंजीकृत है। विषयगत स्थल पर उर्स हमेशा से साल में दो बार लगाता चला आ रहा है जिसकी शासन अनुमति देता है। विषयगत स्थलपर पहले प्रार्थी आपत्तिकर्ता के पिता खुशीर्द हुसैन मुतवल्ली थे, जिनके विरूद्ध धारा 122 वी जमी०वि० एक्ट का वाद सं0 2484 इसी श्रीमान जी के न्यायालय से 15.06.1972 को निर्णित किया गया और बेदखली नोटिस सरकार ने वापस ले लिया। यह वर्तमान दावा Res Judicata से बाधित है, चलने योग्य नहीं है। स्वंय वक्फ बोर्ड के पत्र दिनांक 24.06.2025 द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सम्भल को उक्त सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। एक प्रति श्रीमान जी को भी भेजी गयी है और वर्तमान कार्यवाही वक्फ के हितों के विपरीत है। वक्फ का रिकार्ड, हिसाब किताब सभी नियमानुसार समय–समय पर वक्फ बोर्ड को दिया जाता है और ज्यारत तथा इमामबाडा तथा उर्स कदीमी होने के कारण Easementry Rights भी हासिल है। जिन्हें जबरिया खत्म नहीं किया जा सकता। किसी का व्यक्तिगत कब्जा या दुरूपयोग का मामला नहीं है। जुर्माना गलत लगाया गया है।" आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त कारणों के आधार पर आर0सी0 प्रपत्र–20/नोटिस वापस लिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

तदोपरान्त **ग्राम सभा की ओर** से नामिका अधिवक्ता द्वारा प्रति आपत्ति प्रस्तुत की गयी। जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि "यह कि प्रतिवाद पत्र आफताव हुसैन आदि दिनांक 18.07.2025 कतई गलत खिलाफ कानून व वाका तथा मिथ्या पर आधारित है, निरस्त होने योग्य है। गाटा सं0 452 रकबा 0.134 है० ग्राम सामाज की भूमि वर्तमान में भी राजस्व अभिलेखो में दर्ज है, कोई अधिकार ग्राम सामाज की भूमि पर आपत्तिकर्ता को प्राप्त नही हो सकते। आर.सी.प्रपत्र 19 अन्तर्गत नियम 66 दिनांक 24.06.2025 विधि अनुसार तथा तथ्यों के अनुरूप है और पुष्टि किये जाने योग्य है। विपक्षी गांव सभा आराजी गाटा सं0 452 रकबा 0.134 है0 पर

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :सम्भल,तहसील :सम्भल
वाद संख्या :-12380/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202513740312380
ग्राम सभा बनाम आफताब हुसैन
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

अवैध रूप से काबिज है, विपक्षी ने अपनी आपत्ति दिनांक 18.07.2025 में ग्राम समाज के गाटा 452 के बराबर के गाटा सं0 454 व 453 के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया है और भ्रामक आपत्ति प्रस्तुत की है, निरस्त होने योग्य है। न्यायालय के द्वारा झूठा नोटिस देना बताया है जो अवमानना की श्रेणी में आता है। विपक्षी नं गांव सभा आराजी गाटा सं0 452 रकबा 0.134 है० पर अवैध कब्जा करके पक्का निर्माण/मकान, मस्जिद व दरगाह आदि बनाकर ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किया है, जो बेदखल होने योग्य है। आपत्तिकर्ता के विरूद्ध लेखपाल ने भूमि लेख नियमावली के पैरा 24 (8) के अनतर्गत अपने कर्तव्यो के अधीन सरकारी व गांव सभा की भूमि पर विपक्षी का अतिक्रमण पाते हुऐ कानून अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विपक्षी ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जा न होने का कोई साक्ष्य नही दिया गया है, अवैध कब्जा स्वंय सिद्ध है।" उपरोक्त कारणों के आधार पर आपत्ति विपक्षी दिनांक 18.07.2025 निरस्त कर आर0सी0 प्रपत्र–19 की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

दिनांक 01.08.2025 को पत्रावली पर हल्का लेखपाल के बयान दर्ज कराये गये। लेखपाल द्वारा अपने बयानों में कहा गया कि "ग्राम सैफ खां सराय तहसील व जिला सम्भल की गाटा संख्या 452 रकवा 0.1340हे0, जो कि राजस्व अभिलेखों में 'सम्पत्ति ग्राम समाज' के नाम से अंकित है। उक्त भूमि पर आफताब हुसैन पुत्र खुर्शीद हुसैन नि0 ग्राम सैफ खां सराय द्वारा पक्का मकान, मस्जिद व दरगाह बनाकर अबैध कब्जा किया हुआ है। उक्त भूमि की पैमाइश मेरे द्वारा की गयी है। वर्तमान समय में भी आफताब हुसैन का कब्जा है। उक्त आराजी में अबैध कब्जेदार द्वारा अपने पिता खुर्शीद हुसैन की दरगाह का निर्माण वर्तमान में भी किया जा रहा है।" लेखपाल के बयानों से ग्राम सभा की आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा सिद्ध होता है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हल्का लेखपाल से विस्तृत जिरह की गयी। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में उ0प्र0 सरकार वक्फ गजट 26.08.1995, अपर वक्फ आयुक्त/जिलाधिकारी मुरादाबाद की धारा 6(2) का नोटिस तथा जांच आख्या दिनांक 07.07.1984/31.08.1984 की प्रति, उर्स की अनुमति की प्रति उद्वरण खसरा आदि दाखिल किया गया तथा मेहताब पुत्र खुर्शीद एवं शरीफ पुत्र शगीर नि0गण सैफ खां सराय, सम्भल के बयान दर्ज कराये गये। जो कि पत्रावली पर संलग्न है। मेहताब पुत्र खुर्शीद नि0 ग्राम द्वारा अपने बयानों में कहा गया कि **"आराजी गाटा संख्या 452 पर मस्जिद, मजार, इमामबाड़ा अंग्रेजी जमाने के बहुत पुराने बने हैं। इस मस्जिद को वारसी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। जो वक्फ संख्या 3037 का हिस्सा है। जिसका मैं स्वयं महताब व मेरा सगा भाई आफताब हुसैन वर्ष 2022 से मुतवल्ली हैं। इससे पहले हमारे वालिद खुर्शीद हुसैन मुतवल्ली थे। जिनके विरूद्ध पहले भी 1972 में इसी जगह से बेदखली का धारा–122(बी) का मुकदमा किया गया था। लेकिन बाद में अदालत ने मौके पर मस्जिद बगैराह पुरानी बनी देखते हुए अपना नोटिस वापस ले किया था। अब दौबारा 20 साल का कब्जा बताकर गलत नोटिस दिया गया है। उक्त गाटा संख्या 452 पर कोई मकान नहीं है। अन्य गाटा संख्या 453 पर जो कि मेरी निजी मिलकियत है, पर हमारा मकान बना है। जिसका उक्त मस्जिद से कोई वास्ता नहीं है।** बयानकर्ता द्वारा

पृष्ठ संख्या :

Scanned with OKEN Scanner

यह भी कहा गया कि प्रश्नगत आराजी में मौके पर कोई निर्माण नया नहीं है और 20 साल पहले का भी नहीं है, बल्कि कदीमि है। सभी पुराने निर्माण धार्मिक स्थल हैं जिसकी समय–समय पर मरम्मत आदि की जाती है। हम प्रतिवादीगण का निजि हैसियत से उक्त स्थल पर कब्जा नहीं है। यह खुदा की इबादत गाह है। हम केवल देखभाल करने के लिए तैनात किये गये हैं"। गवाह शरीफ अहमद पुत्र शगीर अहमद नि0ग्राम द्वारा प्रतिवादी मेहताब के बयानों की पुष्टि की गयी है।

दिनांक 27.02.2026/07.03.2026 को प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस पूर्ण की गयी। उनके द्वारा अपनी बहस में कहा गय कि "न्यायालय द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–20 में 1340 वर्ग मी0 पर मकान, मस्जिद, दरगाह बनाकर कब्जा होना बताया गया हैं जबकि मौके पर कोई मकान नहीं है। परन्तु उक्त पैमाइश की चौहद्दी हमें प्राप्त नहीं करायी गयी है। आफताब तथा मेहताब की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि आर0सी0 प्रपत्र–20 में कब्जा 20 वर्ष का दर्शाया गया है जबकि कब्जा हमारा ब्रिटिश शासनकाल से है। हम प्रतिवादी के पिता खुर्शीद के विरूद्ध धारा–122बी का मुकदमा चल चुका है जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.1972 को नोटिस वापस ली गयी। प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में उक्त सम्पत्ति को वक्फ सम्पत्ति होना बताया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि 26 अगस्त 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी गजट प्रकाशित किया गया। जिसमें उक्त सम्पत्ति को वक्फ दर्ज किया गया है। प्रतिवादी/अतिचारीगण ने अपनी बहस में यह बताया गया है कि मेरा कब्जा जमीदारी विनाश अधिनियम लागू होने से पूर्व से है।

मेरे द्वारा पत्रावली का विधिवत् परिशीलन किया गया। ***प्रस्तुत प्रकरण में यह सिद्ध किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया कि प्रतिवादी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा है अथवा नहीं, क्योंकि प्रतिवादी ने स्वयं लम्बे समय से अपना कब्जा किया जाना स्वीकार किया है।*** इसलिए इस प्रकरण में कब्जा सिद्ध किये जाने का कोई वाद बिन्दु निहित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि हल्का लेखपाल द्वारा प्रस्तुत अपनी आख्या दिनांक 24.06.2025 में ग्राम सैफ खां सराय तहसील व जिला सम्भल की गाटा संख्या 452/0.1340हे0, जो कि राजस्व अभिलेखों में " **पेड़ लगाने का स्थान/सम्पत्ति ग्राम समाज**" के नाम दर्ज है, उक्त आराजी पर आफताब हुसैन पुत्र खुर्शीद हुसैन नि0 सैफ खां सराय सम्भल द्वारा पक्का मकान, मस्जिद, दरगाह, आदि बनाकर 20 वर्ष से कब्जा दर्शाया गया है। हल्का लेखपाल की आख्या के आधार पर नियमानुसार वाद दर्ज कर प्रभावित पक्ष/विपक्षी को आर0सी0 प्रपत्र–20/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जोकि प्रतिवादी को तामील उपरान्त संलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 18.07.2025 को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी। जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि **"आर०सी० प्रपत्र. 19 तथा आरसी प्रपत्र 20 अत्यन्त अल्पकालिक दिया गया जो अवैध स्वंय शून्य प्रभावी है। विषयगत आराजी पर मुस्लिम धार्मिक स्थल मजार तथा मस्जिद कदीमी बने हुए है। जिन्हें 20 वर्ष पुराना बताकर झूठी जॉच आख्या आर०सी० प्रपन**

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :सम्भल,तहसील :सम्भल
वाद संख्या :-12380/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202513740312380
ग्राम सभा बनाम आफ्ताब हुसैन
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

19 में दी गयी है। उक्त मस्जिद व ज्यारत आदि समस्त निर्माण वक्फ सं0 3037 वक्फ एक्ट 43 सन् 1995 के अन्तर्गत यू०पी० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में एक अरसे से विधिवत पंजीकृत है। विषयगत स्थल पर उर्स हमेशा से साल में दो बार लगाता चला आ रहा है जिसकी शासन अनुमति देता है। विषयगत स्थलपर पहले प्रार्थी आपत्तिकर्ता के पिता खुशीर्द हुसैन मुतवल्ली थे, जिनके विरूद्ध धारा 122 वी जमी०वि० एक्ट का वाद सं0 2484 इसी श्रीमान जी के न्यायालय से 15.06.1972 को निर्णित किया गया और बेदखली नोटिस सरकार ने वापस ले लिया। यह वर्तमान दावा **Res Judicata** से बाधित है, चलने योग्य नहीं है। स्वंय वक्फ बोर्ड के पत्र दिनांक 24.06.2025 द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सम्भल को उक्त सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। एक प्रति श्रीमान जी को भी भेजी गयी है और वर्तमान कार्यवाही वक्फ के हितों के विपरीत है। वक्फ का रिकार्ड, हिसाब किताब सभी नियमानुसार समय–समय पर वक्फ बोर्ड को दिया जाता है और ज्यारत तथा इमामबाडा तथा उर्स कदीमी होने के कारण **Easementry Rights** भी हासिल है। जिन्हें जबरिया खत्म नहीं किया जा सकता। किसी का व्यक्तिगत कब्जा या दुरूपयोग का मामला नहीं है। जुर्माना गलत लगाया गया है।" आपत्तिकर्ता की आपत्ति के अवलोकन उपरान्त यह विदित होता है कि उक्त वाद की प्रकृति उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–67 के अन्य नियमित वादों से भिन्न है। क्योंकि इस वाद में प्रतिवादी द्वारा यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत आराजी पर यह इमारत/कब्जा ब्रिटिश शासन काल का है। इस तथ्य से यह सिद्ध हो जाता है कि कब्जे के संबंध में प्रतिवादी को इस वाद में कोई आपत्ति/विवाद नहीं है।

प्रतिवादी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस भूमि के संबंध में पूर्व में 122बी की कार्यवाही हो चुकी है। इसलिए यह वाद **Res Judicata** के सिद्धान्त से वाधित है। परन्तु इस संबंध में अतिचारी/प्रतिवादी द्वारा कोई प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उक्त आदेश के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत ही किया है कि उक्त आदेश किस गाटा संख्या से संबंधित है अथवा किस प्रकार के कब्जे को लेकर पारित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा मात्र आदेश दिनांक 15.06.1972 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है जो कि साक्ष्य में ग्राहय नहीं है।

उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार गाटा संख्या 452 रकवा 0.134हे0 की अभिलेखीय प्रविष्टियां इस प्रकार हैं–

चकबन्दी प्रकिया के अन्तर्गत जोत चकबन्दी आकार पत्र–45 में यह भूमि श्रेणी–1 में **'पेड़ लगाने का स्थान'** के रूप में आरक्षित भूमि है। यह गाटा सभ्भल–चन्दौसी मुख्य मार्ग पर सड़क के किनारे स्थित है और इसका बाजार मूल्य बहुत अधिक है। इसलिए अतिचारी ने छोटी सी मस्जिद का निर्माण कर कब्जा कर लिया तथा कालान्तर में विशाल मस्जिद व दरगाह का निर्माण कर लिया। इसी कारण खतौनी सन् फसली 1404–1409 में श्रेणी–4 अर्थात ग्राम **समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जेदार** के रूप में खुर्शीद हुसैन पुत्र विरासत हुसैन का नाम दर्ज हुआ। इस खाते की मुद्दत काश्त 1372 फसली है। जिससे सिद्ध होता है कि सन फसली

पृष्ठ संख्या :

Scanned with OKEN Scanner

1372 में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया। उ0प्र0 राजस्व न्यायिक व्यवस्था में कब्जे दो प्रकार के होतें है।

1–Permisive Possession(अर्थात खातेदार की इच्छा से उसकी भूमि पर कब्जा)– Permisive Possession के अन्तर्गत कब्जेदार को अधिकार एवं स्वत्व संबंधि कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे की यह सिद्ध हो सके कि अतिचारी को राज्य सरकर अथवा ग्राम सभा ने कब्जा करने की अनुमति प्रदान की हो। यद्यपि **Permisive Permition के आधार** पर किसी अधिकार का सृजन नही होता है।

1–Adverse Possession–जब कोई व्यक्ति खातेदार की इच्छा के बिना खातेदार के संज्ञान में निरन्तर 12 वर्ष तक कृषि कब्जा होने पर घोषणात्मक वाद के द्वारा कब्जेदार को स्वत्व प्रदान किया जा सकता है।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिपक्षी/अतिचारीगण ने ग्राम सभा की गाटा संख्या 452 पर धार्मिक संरचना बनाकर गैर कृषि प्रयोजन हेतु अनधिकृत कब्जा किया है। इसलिए इनको ''प्रतिकूल अध्यासन'' के आधार पर अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश भूमिलेख नियमावली के अन्तर्गत अतिचारीगणों का नाम ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकार कब्जे के रूप में बतौर श्रेणी–04 अंकित किया गया। उक्त कब्जे को अवैध एवं अनधिकृत मानते हुए तहसीलदार सम्भल ने अपने आदेश दिनांक 17.11.2002 के अनुसार उक्त कब्जे के आधार पर दर्ज श्रेणी–04 की प्रविष्टि को निरस्त कर विवादित भूमि को पुनः ग्राम सभा की सम्पत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। उक्त ग्राम समाज की अभिलेखीय प्रविष्टि आज भी वदस्तूर दर्ज है। इस प्रकार कब्जे के आधार पर कोई स्वत्व प्रश्नगत गाटे में दिया नहीं जा सकता है।

प्रतिवादी ने अपनी बहस में इस तर्क को प्रमुखता के साथ रखा कि प्रश्नगत धार्मिक संरचना वक्फ सम्पत्ति है और वक्फ सम्पत्ति पर इस न्यायालय को आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं दफा 37 मुस्लिम वक्फ एक्ट 43 सन् 1995 वक्फ नम्बर 3037 जिला मुरादाबाद का गहनतापूर्वक परिक्षण किया गया। प्रतिवादी ने उक्त समस्त अभिलेखों मे विवादित भूमि की चौहद्दी का उल्लेख किया है परन्तु उसके स्वामित्व के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने माननीय वक्फ प्राधिकारण के समक्ष इस तथ्य को प्रस्तुत नहीं किया कि विवादित सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति न होकर सार्वजनिक सम्पत्ति है, जो किसी भी दशा में वक्फ सम्पत्ति घोषित नहीं की जा सकती।

यहां इस तथ्य का भी उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि वक्फ के संबंध में **शासनादेश संख्या 9258/एक–9/88–22 (38)/88–828(1)/रा–9 दिनांक 07.04.1989** जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार है:–

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :सम्भल,तहसील :सम्भल
वाद संख्या :-12380/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202513740312380
ग्राम सभा बनाम आफताब हुसैन
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

"वक्फ आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्रदेश के जनपदों में राजस्व अभिलेखों में वक्फ की अधिकतर भूमि बंजर, उसर, भीटा इत्यादि के रूप में दर्ज है, परन्तु मौके पर वक्फ सम्पत्तियां हैं। वक्फ आयुक्त राजस्व अभिलेखों मे वक्फ सम्पत्तियों का सही रूप से दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतएव अनुरोध है कि परिषद कृपया समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय के निर्देश प्रसारित करायें कि वक्फ सम्पत्तियां राजस्व अभिलेखों मे सही रूप से दर्ज करायी जाएं।"

उक्त शासनादेश के तहत ही गाटा संख्या 452 रकवा 0.134हे0 दिनांक 26.08.1995 को वक्फ सम्पत्ति के रूप में पंजीकृत कराया गया। वर्ष 2022 में उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या **1052 / एक–9–2022–18 विविध/2022 दिनांक 08.08.2022** निर्गत किया गया है, जिसमें वर्णित है कि:– '

'1–राजस्व अनुभाग–9 के शासनादेश संख्या–9250/एक–9–1988–22 (38)/88–828–रा0–9 दिनांक 07.04.1989 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के जनपदों में वक्फ सम्पत्तियों को राजस्व अभिलेखों में सही रूप से दर्ज किये जाने हेतु राजस्व परिषद एवं समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। 2–इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शारान द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राजस्व अनुभाग–9 के उक्त शासनादेश संख्या–9250 / एक–9–1988–22(38)/88–828–रा0–9 दिनांक 07. 04 1989 को तत्काल प्रभाव से निरसित किया जाता है। पूर्व में राजस्व कानूनों के विरूद्ध उक्त शासनादेश दिनांक 07.04.1989 के अर्न्तगत जो भी कार्यवाहियों की गयी हों, उन्हें नियमानुसार दुरूस्त कराने की कार्यवाही भी की जाय"।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **शासनादेश संख्या 9258/एक–9/88–22 (38)/88–828(1)/रा–9 दिनांक 07.04.1989** के अनुपालन में दर्ज वक्फ सम्बन्धी समस्त प्रविष्टियां निराधार हैं। इसलिए अतिचारी को वक्फ के आधार पर कोई कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार प्रतिवादी आफताब हुसैर की ओर से दिनांक 12.08.2025 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र, जिसमें वर्णित किया गया है कि:–

"Wherefore, it is most respectfully prayed that the Hon'ble Tahsildar, Sambhal may kindly be pleased to tranfer this case to the

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :सम्भल,तहसील :सम्भल
वाद संख्या :-12380/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202513740312380
ग्राम सभा बनाम आफताब हुसैन
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

Hon'ble Court of U.P. Waqf Tribunal, Lucknow in the as per directions of the Hon'ble Supreme Court of India in the interest of justice".

संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त पाया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है। जिसपर निर्णय लेने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। जिसके आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत वाद को माननीय उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधीकरण, लखनऊ के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। यह सत्य है कि क्षेत्राधिकार का बिन्दु प्राथमिक बिन्दु है और इसका निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना चाहिए, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपने साक्ष्य की कार्यवाही की जा चुकी है तथा उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर यह भी स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नगत सम्पत्ति प्रथमतया ग्राम समाज की सम्पत्ति है। जिसपर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया गया है। तब इस प्रकार से ग्राम सभा की सम्पत्ति पर अबैध कब्जा किये जाने के संबंध में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–67 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। जिसमें इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने का प्रावधान दिया गय है। इसलिए उपरोक्त के आधार पर क्षेत्राधिकार का प्रश्न स्वतः ही निरस्त हो जाता है।

प्रविवादी आफताब हुसैन की और से दिनांक 19.09.2025/04.10.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि:–

The above named defendant most respectfully submits as under:-

1. That the defendant is the Muwatlli of the Waqf Warsi Masjid and Dargah Anjuman Warsiya situated at Saif Khan Sarai, Sambhal is a waqf property and is registered in the records of the U.P. Sunni Central Waqf Board as bearing Waqf No. 3037 Moradabad (Sambhal).

PRAYER

Wherefore, it is most graciously prayed that the Hon'ble Tahsildar, Sambhal may kindly be pleased to hold the proceedings and let the matter be decided by the Hon'ble High Court at Allahabad first in the interest of justice.

प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह प्रार्थना की गयी है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में निर्णय लिये जाने तक इस वाद की कार्यवाही को रोक दिया जाए।

इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त Writ petition No. 21379 of 2025 /(नोटिस) संख्या 34734/2025, गहताब हुसैन वारसी बनाम उ0प्र0 एवं अन्य जनपद–सम्भल

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :सम्भल,तहसील :सम्भल
वाद संख्या :-12380/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202513740312380
ग्राम सभा बनाम आफ्ताब हुसैन
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

प्राप्त हुआ। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अनुदेश दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त याचिका में निम्न प्रकार से अनुदेश दाखिल किया गया है:–

"सिविल मिस. रिट पिटिशन (नोटिस) संख्या 34734/2025, महताब हुसैन वारसी बनाम उ०प्र० एवं अन्य जनपद–सम्भल ।

Mehtab Husain Warsi son of late Maulana Khursheed Husain Warsi] Resident of Mohalla Saif Khan Sarai] Post Nooriyoon Sarai] Tehsil and District Sambhal-

Versus

1- State of U-P-] through Secretary] Department of Revenue] Government of U-P- Lucknow-

2- U-P- Sunni Central Waqf Board] 3&A Mall Avenue] Lucknow through its Chairman-

3- District Magistrate@Additional Waqf Commissioner] District Sambhal-

4- Sub Divisional Magistrate] Sambhal-

5- Tehsildar] Tehsil Sambhal] District Sambhal

6- Revenue Inspector] Tehsil Sambhal] District Sambhal-

7- Gaon Sabha Village Saif Khan Sarai] Pargana and Tehsil Sambhal] District Sambhal] through its Village Pradhan-

उपरोक्त याचिका में याची ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निम्नलिखिल अनुतोष की अपेक्षा की है:–

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to direct the respondents for protection of Waqf Masjid Saif Khan Sarai and Dargaha Anjuman Warsia] Masjid Khanqah, Imambara, Langar Khan, Mazarat, Sama Khana, Mehman Khana, Kutub Khana etc, situated at Mohalla Saif Khan Sarai, Sambhal registered in the office of U-P- Sunni Central Waqf Board, Lucknow bearing Waqf District Moradabad (Sambhal)-

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :सम्भल,तहसील :सम्भल
वाद संख्या :-12380/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202513740312380
ग्राम सभा बनाम आफताब हुसैन
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

याची का कथन है कि वह अपने भाई मौलाना आफताब हुसैन वारसी के साथ 23. 08. 2022 से वक्फ मस्जिद सैफ खां सराय, जो राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 452 रकवा 0. 134हे0 में स्थित है तथा गाटा संख्या 453 जो दरगाह अन्जुमन वारसियां मस्जिद खां का इमामबाडा लंगर खान इत्यादि के नाम अंकित है, का मुतवल्ली है। उक्त सम्पत्ति वक्फ नं० 3037 जिला मुरादाबाद (सम्भल) पर मुस्लिम वक्फ एक्ट नं0 35 की धारा 37 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है।

याची का सम्पूर्ण कथन यथावर्णित अस्वीकार है। याचिका में निहित सम्पत्ति गाटा संस्थया 452 एवं 463 है, जिसमें गाटा संख्या 453 याची आफताब हुसैन आदि के नाम अंकित निजी भूमि है तथा गाटा संख्या 452 **'पेड़ लगाने का स्थान/सम्पत्ति ग्राम समाज'** के नाम अंकित है। गाटा संख्या 452 रकया 0.1340हे0, जो कि सम्भल चन्दौसी मुख्य मार्ग पर सड़क के किनारे स्थित बहुमूल्य सम्पत्ति है, जिसकी आज की बाजार की कीमत कम–से–कम 50 करोड़ रूपये है। उक्त गाटा नम्बर राजस्व अभिलेखों में प्रारम्भ से ही ग्राम समाज की सम्पत्ति रही है। गाटा संख्या 452 एवं 453 संलग्न भूमि है तथा गाटा संख्या 453 में निजी स्वामित्व के आधार पर सर्वप्रथम याची के पिता ने उपरोक्त सम्पत्ति गाटा सं० 452 जो ग्राम समाज की सम्पत्ति है, पर अनधिकृत कब्जा कर लिया था। तद्नुसार बिना अधिकार के ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने के याची के पिता का नाम खतौनी में श्रेणी–4 में दर्ज किया गया था। श्रेणी–4 में दर्ज खातेदार ग्राम समाज के अनधिकृत कब्जेदार होते हैं तथा उक्त कब्जे के आधार पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। याची के पिता श्री खुर्शीद हुसैन पुत्र विरासत हुसैन ने **पेड़ लगाने का स्थान/सम्पत्ति ग्राम समाज** गाटा संख्या 452 पर कब्जा किया, इसलिए खतौनी खाता संख्या 312 में बतौर श्रेणी–4(भूमि जो उस दशा में बिना अधिकार के अध्यासीनों के अधिकार में हो) में दर्ज हुई। उक्त कब्जे का मुख्य कारण यह रहा कि गाटा संख्या 453 जिसका रकवा मात्र 0.008हे० है के साथ संलग्न ग्राम समाज सम्पत्ति गाटा संख्या 452 रकवा 0.134 हे0 स्थित है, पर कब्जा कर लिया तथा आवास, मज्जार एवं मस्जिद आदि बनाकर काबिज हो गये। गाटा संख्या 453 जो याची के व्यक्तिगत स्वामित्व में है, को वक्फ सम्पत्ति घोषित किया गया है, तो वह स्वीकार योग्य है। पस्तु गाटा संख्या 452 जो शुरू से सम्पत्ति ग्राम समाज रही है, पर याची के पिता खुर्शीद हुसैन पुत्र विरासत हुसैन ने सर्वप्रथम कब्जा किया और मा० वक्फ बोर्ड के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर वक्फ सम्पत्ति घोषित कराने में सफल हुए हैं। यद्यपि याची द्वारा प्रस्तुत वक्फ बोर्ड के प्रपत्रों में कहीं भी गाटा संख्या 452 के स्वामित्व का उल्लेख नहीं है।

जनहित याचिका 2933/2025 मुन्नी लाल बनाम राज्य एवं अन्य में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार गाटा संख्या 452 (**पेड़ लगाने का स्थान/सम्पत्ति ग्राम समाज**) पर अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में राजस्व लेखपाल ने दिनांक 24.06.2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र–19 पर अनधिकृत कब्जा किये जाने की आख्या प्रस्तुत की। जिस पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के

पृष्ठ संख्या :

Scanned with OKEN Scanner

अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी0202513740312380 दर्ज कर कब्जेदार को नोटिस जारी किया, जो याची के सगे भाई आफताब हुसैन, जो याची के कथनुसार सहमुतवल्ली है को दिनांक 27.06.2025 को दस्त–वदस्त तामील है। इसके अतिरिक्त दिनांक 30.06.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जो दिनांक 01.07. 2025 को दस्त–वदस्त तामील है। परन्तु याची के भाई आफताब हुसैन जिनको याची सहमुतवल्ली बताते हैं दिनांक 28.06.2025 को न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु इनके द्वारा विचाराधीन वाद में अपना कोई पक्ष पस्तुत नहीं किया है तथा इस तथ्य को छुपाते हुए मा० न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.08.2025 में उक्त अनुदेश का संज्ञान भी लिया गया है तथा याची को माननीय न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के समरूप माननीय उच्च न्यायालय इलाहाहाबाद द्वारा पी0आई0एल0 याचिका नं0 13243/2017 में दिनांक 08.11.2017 में उल्लिखित वक्फ मस्जिद को सार्वजनिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए विस्थापित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त पी0आई0एल0 याचिका में निहित बिन्दु निम्नप्रकार है:–

This petition, in the public interest, under Article 226 of the Constitution of India, has been instituted by an Advocate practicing in this Court seeking a direction commanding the official respondents to immediately remove the encroachment made on a plot of land allotted to the High Court and Advocate General's office, bearing Nazul Plot No.59, Civil Station, Allahabad, measuring 8019.57 Sq. Meters (for short 'the plot'). The allegation of encroachment was initially made against an unknown person, who subsequently was identified as the **respondent no.7-Waqf. It is stated that respondent no.7 has recently constructed a Masjid on the portion of the plot, towards it's south-west corner, measuring about 100'x50' known as "Masjid High Court", hereinafter referred to as "the site in dispute". Respondent no.7**

Scanned with OKEN Scanner

is a registered Waqf, bearing No.3155-Allahabad, and it is represented through its President-Managing Committee.

उपरोक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा 175 पृष्ठ के विश्लेषण के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये हैं:–

In the result, we allow the instant public interest litigation and issue the following directions:

(a) Respondent No.7-Waqf, shall handover vacant and peaceful possession of the site in dispute to respondent no.1-High Court, within a period of three months from today.

(b) Respondent no.7, however, shall handover vacant possession of the portion of the site in dispute, to the extent of 6 meters from the corner of the last staircase on the rear side of the Annexe Building (shown as DG FE in the map accompanied their letter dated 1.9.2016, i.e. Annexure-15 to the counter affidavit dated 18.4.2017 filed by respondent no.7 and as agreed by them, which is duly recorded in the order dated 20.7.2017), within two weeks from today; the said map being made part of this judgment.

(c) We also direct members of the Committee of Management (respondent no.7-Waqf), most of whom are the lawyers practicing in this Court, to obey/abide by this order, and handover vacant and peaceful possession of the site in dispute within the stipulated time.

(d) It is needless to mention that while complying the directions

Scanned with OKEN Scanner

(a), (b) and (c), as aforementioned, respondent no.7/members of the Committee of Management, while handing over possession of the site in dispute, shall also remove all structures standing on the said portion.

(e) If respondent nos. 7 and 9, make an application to the State/District Administration, within four weeks from today, seeking allotment of an alternative site, we direct the State/District Administration to deal with the application sympathetically, in accordance with law, within eight weeks from the date of the application.

(f) In case respondent no.7 and members of the Committee of Management fail to comply with any part of the directions (a) and (b) within the stipulated time, respondent nos.2 to 5 shall take forcible possession of the entire site in dispute from respondent nos.7 or anyone claiming through them or independently and for such purpose, it shall be open to them to seek police assistance or any other help as may be required for complying this order. Respondent nos.2 and 3 are directed to provide all possible help to respondent nos. 4 and 5 and to ensure that the site in dispute is made free from all unauthorised encroachments and its possession is handed over to respondent no.1 within one month therefrom.

(g) Respondent no.9 shall forthwith delete the words 'High Court' from the registration certificate issued to

Scanned with OKEN Scanner

respondent no.7. Respondent no.7 is injuncted forthwith from using the name of High Court in its name or in any manner representing before any authority or person that the alleged Waqf is in any manner connected with or has the patronage of the High Court.(h) The Registrar General of this Court is directed to ensure that in future no part of the High Court premises, either at Allahabad or at Lucknow, is permitted to be used for practicing religion or offering prayers or to worship or to carry on any religious activity by any group of persons.

माननीय न्यायालय के आदेश का निहितार्थ यह है कि सड़क के किनारे या सार्वजनिक जमीन पर नमाज पढ़ने मात्र से वह जमीन स्थायी रूप से मस्जिद या वक्फ नहीं बन जाती। चूंकि जमीन सार्वजनिक कार्य (हाई कोर्ट की विल्डिंग) के लिए आवश्यक थी इसलिए उस पर वक्फ का अधिकार लागू नहीं होता। माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन को अल्लाह को समर्पित कर वक्फ नहीं बनाया जा सकता। किसी भी सम्पत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए उसका पूर्ण स्वामित्व अनिवार्य है।

उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 08.11.2017 के विरूद्ध वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष **विशेष अनुमति याचिका संख्या 3085/2018, वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट बनाम हाई कोर्ट ऑफ जुडिक्चर इलाहाबाद रजिस्ट्रार जनरल एवं अन्य** दायर की गयी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:–

However, we still grant further 3 months' time to demolish the demised construction in question by the petitioners and if the demised construction is not removed within a period of 3 months' will be open from today, it the for appropriate authority/authorities, including the High Court, to get the demised construction removed/demolished.

माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सीमित स्वामित्व अथवा

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :सम्भल,तहसील :सम्भल
वाद संख्या :-12380/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202513740312380
ग्राम सभा बनाम आफ्ताब हुसैन
अंतर्गत धारा:- 67, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सरकारी भूमि को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। यह सत्य है कि वक्फ एक्ट में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई भूमि एक बार वक्फ घोषित कर दी जाती है तो उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है। यह व्यवस्था उन्हीं विषयों तक सीमित है, जहां व्यक्तिगत सम्पत्ति को "अल्लाह" को समर्पित करते हुए वक्फ घोषित की जाती है। प्रतिवादी ने वक्फ घोषित कराये जाने हेतु जो प्रपत्र माननीय वक्फ न्यायाधीकरण के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें प्रश्नगत भूमि की चौहद्दी का मात्र उल्लेख किया गया है उक्त भूमि के स्वामित्व का उल्लेख नहीं किया गया है। सम्भव है कि यदि अतिचारी माननीय वक्फ न्यायाधिकारण के समक्ष भूमि के स्वामित्व का उल्लेख करते तो यह भूमि कदापि वक्फ भूमि घोषित नहीं की जाती। इस प्रकार अतिचारी ने न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य प्रस्तुत न कर आपराधिक कृत्य किया है।

अतः उपरोक्त के अनुपालन में प्रतिवादी का ग्राम सभा की आराजी पर अबैध कब्जा होना सिद्ध पाते हुए प्रतिवादी को **पेड़ लगाने का स्थान/सम्पत्ति ग्राम समाज** की भूमि से बेदखल किया जाना उचित होगा। अतः उपरोक्त विवेचना एवं वर्णित विधि व्यवस्थाओं के दृष्टिगत आपत्तिकर्ता की आपत्ति 18.07.2025 बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा लेखपाल की आख्या दिनांक 24.06.2024 स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के नियम सं0 67(3) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अतिचारी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति निरोपित कर भू–राजस्व के बकाए की भांति वसूल किया जाना उचित प्रतीत होता है। कब्जे की अवधि का निर्धारण अतिचारी के श्रेणी–4 "ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकार कब्जे" की तिथि से आंकलित करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:–

–::आदेश::–

अतः आदेश हुआ कि ग्राम सैफ खां सराय तहसील व जिला सम्भल की गाटा सं0 452/0.134हे0(पेड़ लगाने का स्थान/सम्पत्ति ग्राम समाज) से अतिक्रमणकर्ता श्री आफताब हुसैन व मेहताब हुसैन पुत्रगण खुर्शीद हुसैन नि0 सैफ खां सराय, सम्भल तहसील व जिला सम्भल को बेदखल किया जाता है। एवं क्षतिपूर्ति 69479000/–रूपये(छः करोड़ चौरानवे लाख उन्नयासी हजार रूपये) तथा निष्पादित शुल्क 1250/– आरोपित किया जाता है। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक क्षेत्रीय तथा एक प्रति सहायक बासिल वाकी नवीस को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि अतिचारी से वसूली कराते हुए मौके पर बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा न्यायालय को आख्या उपलब्ध कराये। अतिचारी/प्रतिवादी चाहे तो उक्त आदेश के विरूद्ध विहित अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश दिनांक–07/03/2026

7.3.26

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी
/तहसीलदार सम्भल

पृष्ठ संख्या :

Scanned with OKEN Scanner